शीर्षप्राथमिकता/विशेष ध्यानाकर्षण।

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध समस्त,
राजकीय/अनुदानित/निजी क्षेत्र की,
डिप्लोमा इन फार्मेसी की संस्थाएं।

पत्रांक: प्राशिप/अनु04/प्रयोगा0परी0/2024/2980 लखनऊ: दिनांक:– 16/07/2024

विषय: डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की वार्षिक/बैक पेपर, प्रयोगात्मक परीक्षा जून–2024 सम्पन्न कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक परिषद की आहूत परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 14.06.2024 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम जून–2024 की प्रयोगात्मक परीक्षा दिनांक 16/07/2024 से 31/07/2024 के मध्य सम्पन्न करायी जानी निर्धारित है। उक्त के अनुक्रम में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु नियुक्त किये गये परीक्षकों का विवरण संस्था लॉगिन एवं परीक्षक लॉगिन पर उपलब्ध करा दिया गया है। शेष आवंटन प्रकिया दो कार्यदिवस में पूर्ण हो जाएगी।

अवगत कराना है कि परिषद द्वारा आवंटित प्रयोगात्मक परीक्षकों से सम्पर्क स्थापित करते हुए परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें एवं प्रयोगात्मक अंकों की प्रविष्टि परीक्षक द्वारा अपने लॉगिन के माध्यम से परिषद की वेबसाइट www.bteup.ac.in पर की जाएगी।

सूच्य है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु छात्र/छात्राओं को अपने स्तर से प्रत्येक स्थिति में यथोचित माध्यम से (श्यामपट्ट पर सूचना चस्पा करके, दूरभाष के माध्यम से या व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से सूचित करते हुए परीक्षा पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे)। किसी भी दशा में कोई भी छात्र/छात्रा प्रयोगात्मक परीक्षा से वंचित न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में यदि कोई छात्र/छात्रा प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह जाता है और वह न्यायालय अथवा आयोग की शरण में जाता है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं संस्था प्रधानाचार्य का होगा।

फार्मेसी पाठयक्रम के बैक पेपर/विशेष बैक पेपर परीक्षा का कोई छात्र/छात्रा जिसका प्रयोगात्मक परीक्षा में बैक है उसकी परीक्षा संस्था में उपस्थित परीक्षा लेने आये हुए परीक्षक द्वारा ही सम्पन्न करायी जाएगी एवं अंको की प्रविष्टि परीक्षक लॉगिन पर उपलब्ध लिंक Entry Practical Marks (Other Than List) के माध्यम से की जाएगी। प्रयोगात्मक परीक्षा पूर्ण होने का परीक्षक प्रमाण पत्र संस्था प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत किया जायेगा, जिसकी प्राप्ति ई–लिस्ट के साथ संलग्न कर परिषद कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। परीक्षक प्रमाण पत्र का प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है।

किसी भी दशा में परिषद द्वारा आंवटित परीक्षक के अतिरिक्त अन्य परीक्षक से प्रयोगात्मक परीक्षा संस्था द्वारा सम्पन्न नहीं करायी जायेगी। यदि किसी संस्था में उसकी संस्था का परीक्षक प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु आवंटित है तो परीक्षक से प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न न करायी जाये, प्रयोगात्मक परीक्षा संबंधी यदि कोई समस्या आती है तो इसकी सूचना अविलम्ब परिषद कार्यालय के अनुभाग–4 की ई0मेल anubhag4bte@gmail.com पर दी जायेगी। यदि अपरिहार्य कारणों से परीक्षक द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न कराने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो संस्था द्वारा परीक्षक से अनिवार्य रूप से इस संबंध में ई0मेल/पत्र प्राप्त कर लिया जाये अथवा परीक्षक के लॉगिन पर Rejection की सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से भी परीक्षक रिजेक्ट कर सकते हैं/करा लिया जाये। संस्था स्वयं के स्तर पर दूरभाष द्वारा परीक्षक से संपर्क स्थापित करेंगे तथा संपर्क स्थापित न होने पर ई0–मेल के माध्यम से परीक्षक को सूचित करेगें। संस्था द्वारा परीक्षक से हुई वार्ता का रिकार्ड परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा तत्पश्चात ही परिषद द्वारा अन्य परीक्षक की नियुक्ति की जायेगी। संस्था द्वारा परिषद कार्यालय को अभिलेखों के साथ

परीक्षक का नाम एवं मोबाइल नं0 उपरोक्त ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। पूर्ण सूचना प्राप्त न कराने की दशा में परीक्षक परिवर्तित करने के संबंध में परिषद द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रयोगात्मक परीक्षा पूर्ण होने के उपरान्त हार्डकॉपी पेपर कोड के बढ़ते कम में व्यवस्थित कर संस्था अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखेगीं जो भविष्य में परिषद को आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव।

पृ0सं0: प्राशिप/अनु04/2024/ 2981-84 तद्दिनांकः– 16/07/2024

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को प्रमुख सचिव, महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
3. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी क्षेत्र/बुन्देलखण्ड क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र, दौराला मेरठ।
4. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव।

प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश

प्रमाण–पत्र

(संस्था द्वारा प्रत्येक प्रयोगात्मक परीक्षक को इस प्रपत्र पर प्रमाण–पत्र दिया जाय)

नोट–(1) इस प्रमाण–पत्र को पाँच प्रतियों में बनाया जाय और जैसे ही कोई प्रयोगात्मक परीक्षक संस्था में सभी सम्बन्धित प्रयोगात्मक परीक्षा समाप्त करके जाने लगे, तीन प्रतियाँ परीक्षक को दे दी जाय, चौथी प्रति उसी समय परिषद् को सूचनार्थ भेज दी जाय और पाँचवी प्रति संस्था अपने अभिलेखों में रख ले।

(2) बैक पेपर के रूप में सम्मिलित होने वाले छात्रों तथा ऐसे छात्र/छात्रों जिनकी प्रयोगात्मक परीक्षा छूट जाने के कारण आप को संस्था से परीक्षा देने को अनुमति दी गयी है, के सन्दर्भ में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों के नाम तथा अनुक्रमांक नीचे अवश्य लिखने का कष्ट करें।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोगात्मक परीक्षक का नाम तथा परीक्षक का कोड नं0 ....

परीक्षक का मोबाइल नं0 .... ने इस संस्था में निम्नलिखित परीक्षायें सम्पन्न कर ली है। अन्य विवरण भी निम्नवत् है।

क्रम-सं0	प्रयोगात्मक विषय का नाम	विषय पेपर कोड	कक्षा का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम कोड	परीक्षार्थियों की पंजीकृत–संख्या	प्रयोगात्मक परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों की संख्या	अनुक्रमांक सहित अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या	परीक्षा तिथियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									

नोट–1–स्तम्भ 5 एवं 6 में दर्शायी गयी संख्या का योग स्तम्भ 4 के बराबर होना चाहिए।

2–यदि परिषद् द्वारा किसी छात्र/छात्रों को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु अधिकार पत्र दिया जाता है तो उक्त प्रमाण–पत्र में अनुक्रमांक सहित अलग से उल्लेख करें।

संस्था का कोड .... संस्था का नाम ....

....

(प्रधानाचार्य)

संस्था की सील

दिनांक ....

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 11 प्रा0शि0परिषद्–2–1–2013–(3132)–10,000 प्रतियां (क0/टी0/आफसेट)।

11-M.S.P.-2013/Data 9